पुस्तकालय

2589
3/4/07

सत्यमेव जयते

23 MAR 2007

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग I—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०......910...... तिथि 3/4...

बि०स० मु० (एल० ए०) 220--मानो--1,000--8-6-2004

तारांकित प्रश्न संख्या-१७३४,मा० सदस्य श्री प्रमोद कुमार

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : महोदय, खंड-१. स्वीकारात्मक है ।

खंड-२. स्वीकारात्मक है । राज्य के सभी सदर अस्पतालों की शय्या बढ़ाने का कार्य सामान्य नीति के तहत सरकार के दृष्टि में है एवं भविष्य में सभी सदर अस्पतालों के शय्याओं की संख्या चरणबद्व रूप से बढ़ायी जा रही है ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, यह सदर अस्पताल सौ शय्याओं वाला है जबकि वहाँ प्रतिदिन पाँच सौ, छः सौ, सात सौ मरीज पूरे बरामदे पर सोते हैं । अगर उसको पाँच सौ शय्याओं वाला अस्पताल नहीं बनाया गया तो वहाँ जो इलाज कराने के लिए जायेंगे तो उनको एक नया बीमारी और इन्फेक्शन हो जायेगा । मैं आपके माध्यम से मा० मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या आप सदर अस्पताल को पाँच सौ शय्या वाला अस्पताल बनाने का विचार रखते हैं, यदि रखते हैं तो कब तक ।

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : महोदय, विभाग के अन्दर एक योजना तैयार है जिस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति अपेक्षित है जिसके तहत हमने सभी जिला में आबादी के आधार पर तीन श्रेणी का जैसे- सौ शय्या, तीन सौ शय्या और पाँच सौ शय्या का अस्पताल बनाने का निर्णय किया है । जहाँ तक मोतिहारी का प्रश्न है तो वहाँ की आबादी के आधार पर पाँच सौ शय्या का अस्पताल बनाने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलते ही अगले वित्तीय वर्ष से इसकी कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी ।

श्री प्रमोद : महोदय, इस शुभ कार्य के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या-१७३५,श्रीमती आशा देवी

(इस अवसर पर माननीया सदस्या सदन में अनुपस्थित)

श्रीमती रेणु देवी : महोदय, माननीय सदस्या ने मुझे कहा है पूछने के लिए ।

अध्यक्ष : शांति-शांति । एक तरफ रेणु जी सभी महिला विधायकों के प्रश्न का जवाब चाहती है और दूसरी तरफ लाल बाबू राय जी का भी आया हुआ ऑथराइजेशन, कई लोगों का ।

तारांकित प्रश्न संख्या-१७३६,मा० सदस्य, श्री भोला सिंह

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : महोदय, खंड-१. किसी भी सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्त्ति राशि की सीमा निर्धारित नहीं है । इस कारण अधिकतम सीमा को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

खंड-२. हृदय की शल्य-क्रिया, स्पाईनल सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण एवं कैंसर के ईलाज में नियमानुसार अनुमान्य सम्पूर्ण राशि का वहन किया जाता है ।

खंड-३. चिकित्सा हेतु अस्पताल संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर अस्सी फीसदी अग्रीम की स्वीकृति की व्यवस्था है ।

खंड-४. उपरोक्त सभी पूर्व से ही कार्यान्वित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-१७३७,मा० सदस्य श्री विनोद नारायण झा

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-१ उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के बलुआहा गांव में २००४ में बाढ़ से ८१ परिवार का घर गिर गया था ।

खंड-२ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-३ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-४ जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ पीड़ितों में से पूर्व में आठ परिवारों को इंदिरा आवास मुहैय्या कराया जा चुका है । शेष व्यक्तियों का नाम वर्तमान में बी०पी०एल० सूची से मिलान कर विशेष इंदिरा आवास योजना में आवंटन नहीं रहने के फलस्वरूप सामान्य इंदिरा आवास मुहैय्या कराने का नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, यह तो कुछ नहीं हुआ । इन्होंने माना कि हमने १५० कहा था जिसमें ९८ लोगों की सूची जो डी०एम० और डी०डी०सी० ने भेजा है उसकी सूची मेरे पास है । मा० मंत्रीजी ८१ को ही माना है तो चलिये ८१ लोग ही सही । उसके बाद इन्होंने दूसरा भी माना है । सरकार का एक पत्र है कि पाँच प्रतिशत उसको नेशनल कैलामिटी में खर्च करना है, इंदिरा आवास बनाना है, पूरे आवंटन का पाँच प्रतिशत और ८१ जब इन्होंने माना है तो इसमें मंत्री महोदय को कहना चाहिए, क्योंकि जब आपने माना है कि ८१ घर बाढ़ में गिर गया तो क्या आप उसे इंदिरा आवास देने का निर्णय लेंगे ।

नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो चर्चाएं की है, मैंने प्रश्न के जवाब में कहा कि ८१ में से पूर्व में आठ परिवारों को इंदिरा आवास मुहैया कराया जा चुका है । शेष व्यक्ति जो ७३ बचे गये है का नाम नए बी०पी०एल० सूची से मिलान कर विशेष इंदिरा आवास योजना, जिसकी चर्चा इन्होंने की पाँच प्रतिशत यानी पचास लाख रुपया प्रत्येक जिला पदाधिकारी को अगलगी से, कटाव से, जहाँ प्रभावित लोग हैं उनके घर बनाने के लिए राशि दी जाती है तो हमने कहा कि शेष व्यक्तियों का नाम वर्तमान में नए बी०पी०एल०सूची से मिलान कर विशेष इंदिरा आवास योजना में आवंटन नहीं रहने के फलस्वरूप चूँकि, महोदय पाँच